

प्रारूप-3

(नियम 8 देखें)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

एआरटी क्लीनिक (स्तर 1/स्तर 2) एआरटी बैंक
(दो प्रतियों में जारी किया जायेगा)

S. No. - 9397
06/12/23

प्रमाणपत्र संख्या--MP/NARMADAPURAM/ART Level-2/No-02

3. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 16 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित अधिकारी-जिला सक्षम एस्स्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लीनिक को 04/12/2028 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (d) एआरटी क्लीनिक का नाम और पता- | Rewa Nursing Home
anand nagar
Narmadapuram- 461001 |
| (e) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)- | Private |
| (f) सुविधा का प्रकार स्तर-1/स्तर-2- | ART CLINIC Level-2 |

या

निम्नलिखित एआरटी बैंक.....x.....को समाप्त होने वाली x.....अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

- (e) एआरटी बैंक का नाम और पता -x.....

- (f) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)-x.....

4. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या निरस्तीकरण होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण की संख्या आवंटित कि गई-MP/NARMADAPURAM/ART Level-2/No-02

4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए-
रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि -05.12.2023से 04.12.2028 तक

जिला सक्षम एस्स्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्नोलॉजी एवं सेरोगेसी प्राधिकारी
जिला नर्मदापुरम्

तारीख,-05/12/2023

स्थान- नर्मदापुरम्

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।
जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें।